बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– केसरिया, जिला– पूर्वी चम्पारण सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– चिरैया, जिला– पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध माह अप्रैल, 2015 में प्रखंड केसरिया में राशन/किरासन वितरण का समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किये जाने, विभागीय कार्यो के निर्वहन में शिथिलता बरतने से संबंधित आरोपों के लिए गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक– 309 दिनांक– 14.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक, खाद्य, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी । समीक्षा के क्रम मे श्री विश्वकर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा माह अप्रैल, 2015 में प्रखंड– केसरिया में राशन/किरासन वितरण का समुचित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया । उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक– 4642 दिनांक– 15.09.2017 एवं अनुवर्ती स्मारों द्वारा श्री विश्वकर्मा से द्वितीय कारणपृच्छा / स्पष्टीकरण की मांग की गयी परन्तु श्री विश्वकर्मा द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा / स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया ।

3. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– केसरिया, जिला– पूर्वी चम्पारण सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– चिरैया, जिला– पूर्वी चम्पारण को उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(V) के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

4. श्री विश्वकर्मा को निलम्बन अवधि के लिए जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

Sd/- 12/2/XVIII

(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 पूर्वी चम्पारण–49/2015 – 982– /खाद्य,पटना/दिनांक 23-02-18

प्रतिलिपि–प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उप निदेशक, खाद्य, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर–सह– संचालन पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– केसरिया, जिला– पूर्वी चम्पारण सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड– चिरैया, जिला– पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 12/2/XVIII

सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year_2016\PK\auc-08 (08-09-2016)\auc_IV\M_ord..doc AKS